

(पद.....)

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम घोरे अतर के खाता सं. 231 खसरा नं. — में आवेदन

पत्र अनुसार

जगदीश प्रसाद सोनी के स्वर्णकार के बजाय गणेशनाथ सोनी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र जगदीश प्रसाद सोनी को भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र जात हुआ

न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना

सुनिश्चित करें। आदेश केम्प न्यायालय हवाम प्रचायत घोरे अतर में दिनांक 26/09/25

को मजमेआम में सुनाया गया।



26/9/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी